तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
२८/१०/२०	आज यह पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप० आये। वकील प्रार्थी ने सहकाश्तकारान को मय रामकी (सत्यवी) पुत्री/ म प्रतापसिंह जातिपान कौर निवासी गादली की ढाणी तहसील मुण्डावर का सामूहिक प्रमाणित शपथ-पत्र पेश किया जो विवादित आराजीयात के सहखाते दारान द्वारा उपस्थित अदालत आकर शपथ-पत्र को सही व सत्य होना स्वीकार कर सहमति स्वरूप अपने अपने हस्ताक्षर किये/ शामिल पत्रावली है। वकील प्रार्थी की प्रार्थना-पत्र के बाबत बहस सुनी गई/ दौराने बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए विवादित आराजी के बाबत अंकित प्रार्थी के नाम राजकी के बजाय राजकुमार अंकित किये जाने के आदेश करने जाने का निवेदन किया तथा प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रार्थी का स्वयं का शपथ-पत्र, ग्राम पंचायत गादली द्वारा जारी प्रमाण-पत्र, पैनकार्ड की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, निर्वाचक मतदाता पहचान पत्र की छाया प्रति, परिवार राशनकार्ड की छाया प्रति, अंक तालिका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की छाया प्रति, जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ सह काश्तकारान की ओर से शपथ-पत्र पेश किये जाने का [illegible] उक्त समस्त दस्तावेजात के प्रार्थी का सही नाम राजकुमार पुत्र प्रतापसिंह जाति [illegible] का निवेदन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने [illegible] किया एवं तहसीलदार मुण्डावर द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत प्राप्त रिपोर्ट अनुसार भी राजकुमार [signature] उपखण्डाधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram S
Rajawat
Date: 2021.02.03 10:05:2
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्म की तामी[ल]
पुत्र प्रतापसिंह व राजवीर पुत्र प्रताप सिंह स्वेच्छा व्यक्ति के नाम के बाबत किसी प्रतिवादीगण का एतराज नहीं किया। वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।	
आदेश	
अतः प्रार्थी की प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में हाल आराजी खसरा नं० 971/0.25 972/0.34 हैक्टेयर वाके ग्राम भालकाला तहसील मुण्डावर जिला अलवर (राज०) के हाल राजस्व रिकार्ड में अंकित राजवीर पुत्र प्रतापसिंह नाम को कलमजद किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजवीर पुत्र प्रतापसिंह के बजाय राजकुमार पुत्र प्रतापसिंह नाम का अंकन हाल रिकार्ड में किये जाने के आदेश दिये जाते है। उसी अनुसार ही अमलदरामद किया जावे। इस हेतु तहसीलदार मुण्डावर को रूबकार जारी हो। पत्रावली के [illegible] नियमानुसार [illegible] बाद तकमील जमा जिला रेकर्ड [illegible] हो। सुनाया गया।	
[signature] 23.10.[illegible]	
उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर (अलवर) राज०	

Signature Not V[erified]
Digitally signed by Rajawat
Date: 2021.02.03 1[…]
Reason: SelfAttest[…]